III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

भागीरथ .... बनाम .... सोनी कौर ....

मुकदमा ....प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा.... नं. ....276.... सन् ....2002....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
29-5-18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार वर्ष–2018 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो. राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्रांक प.12 (15) राज–1/2018 दिनांक [illegible] श्रीमान जिला कलक्टर महो. सीकर के [illegible] प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना एवं योजना में पत्रावली पूर्व नियत तारीख [illegible] 19-6-18 से तलब होकर आज पेश हुई। उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु रखी जानी है। अतः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र नाथूसर में दिनांक – 20-6-18 को पत्रावली पेश हो। उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थल पर उपस्थित होने हेतु सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी हो।	
20.06.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– नाथूसर के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण वर्ष 1997 से न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण नम्बर 1 की ओर से दिनांक 22.09.1997 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो चूका है तथा अप्रार्थी न0 2 के विरूद्ध दिनांक 03.08.1998 को कोई कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। प्रकरण दिनांक 24.08.1998 से वास्ते अन्तिम बहस विचाराधीन चला आ रहा है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर प्रकरण में उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.1997 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत विवादित आराजियात् भूमि खसरा नम्बर 1665, 1666, 1675 कुल किता 3 कुल रकबा 4.03 हैक्टर व खसरा नम्बर 1674 रकबा 0.31 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे। Sd/-	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प–नाथूसर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (ब्रह्म लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–नाथूसर

Scanned by CamScanner